निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 ज्येष्ठ 1937 (शo)

(सं0 पटना 670) पटना, वृहस्पतिवार, 11 जून 2015

सं0 अं0स्था0(09)–13 / 2013—333–वि0अ0

वित्त विभाग

————

संकल्प

27 मई 2015

विषयः–वित्त (अंकेक्षण) विभाग के अन्तर्गत स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय के गठन के सम्बन्ध में।

13वें वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को सामान्य बुनियादी अनुदान (General Basic Grant) एवं सामान्य निष्पादन अनुदान (General Performance Grant) देने का प्रावधान था। साधारण निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए 13वें वित्त आयोग की शर्त्त जो कंडिका 10.161(ii) में परिलक्षित है, के अनुसार राज्य सरकार को इन संस्थाओं के निरन्तर अंकेक्षण के लिए अपना अंकेक्षण तंत्र स्थापित करना है एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को इस अंकेक्षण तंत्र के सभी स्तरों का तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण (TG&S) का कार्य सुपुर्द करने तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल में उपस्थापित करने का निदेश था। **14वें वित्त आयोग** का भी यह मत है कि लेखा के रख–रखाव, उनके ऑडिट तथा प्रकटन में सुधार लाने के लिए पिछले वित्त आयोगों द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयासों को जारी रखना जरूरी है। इसके लिए आयोग ने अपने कार्य निष्पादन अनुदानों में उपयुक्त प्रोत्साहन दिए हैं । आयोग की यह सिफारिश है कि स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गईं लेखा पुस्तिकाओं में अपने करों और गैर करों, आवंटित करों, हस्तांतरण तथा राज्यों से अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग से अनुदानों और संघ एवं राज्य सरकारों द्वारा आवंटित किसी अन्य एजेंसी कार्य के लिए अनुदानों से हासिल आय को अलग–अलग दिखाया जाना चाहिए। इसके अलावा आयोग की यह भी सिफारिश है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिए जा रहे तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोग को जारी रखा जाना चाहिए तथा राज्यों को स्थानीय निकायों को अपने लेखाओं के संकलन करने और निर्धारित समय पर लेखा परीक्षा (ऑडिटिंग) संपन्न करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए । उल्लेखनीय है कि बुनियादी अनुदान एवं निष्पादन अनुदान के अलावा भी त्रिस्तरीय पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा बुनियादी एवं कल्याणकारी विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक बड़ी राशि का हस्तान्तरण किया जाता है । इस परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि अंकेक्षण तन्त्र को मजबूती प्रदान किया जाए ।

2. पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के अंकेक्षण के लिए माननीय मुख्य (वित्त) मंत्री द्वारा दिनांक 5.10.2013 को दिए गए आदेश के उपरान्त वित्त (अंकेक्षण) विभाग के अन्तर्गत स्थानीय निधि अंकेक्षण कोषांग की स्थापना की गई और वित्त (अंकेक्षण) विभाग के अन्तर्गत एक उप लेखा नियंत्रक एवं 39 वरीय अंकेक्षकों वाले स्थानीय निधि अंकेक्षण कोषांग को लगभग 9,117 स्थानीय निधि संस्थाओं का अंकेक्षण करने की जिम्मेवारी दी गई।

लेकिन इसे व्यवस्थित एवं स्थायी रूप दिये जाने के लिए 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा (कंडिका 10.161(ii) एवं 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा (कंडिका–9.61) एवं महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय के गठन हेतु विभिन्न प्रेषित पत्रों के आलोक में इसे एक विशिष्ट संगठन के रूप में गठित किया जाना आवश्यक है ।

3. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त वित्त (अंकेक्षण) विभाग के अन्तर्गत स्थानीय निधि संस्थाओं के निरन्तर अंकेक्षण के लिए ''स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय'' गठित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है ।

4. निदेशालय, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण के अधीन कार्य करेगा । वर्त्तमान में वित्त (अंकेक्षण) विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक को निदेशक का प्रभार दिया जाएगा एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक का पदनाम मुख्य लेखा नियंत्रक–सह–निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण होगा ।

5. इस पद पर नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाएगा । निदेशक अपने कार्यों के लिए प्रधान सचिव, वित्त के प्रति जवाबदेह होंगे । मुख्य लेखा नियंत्रक–सह–निदेशक के पद पर संयुक्त सचिव, के ऊपर के स्तर के पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी ।

6. निदेशालय का संगठनात्मक ढ़ांचा, आवश्यक कार्यबल, पद सोपान, वेतनमान, संवर्ग नियमावली, कार्यपद्धति आदि पर अलग से निर्णय लिया जाएगा ।

7. उल्लेखनीय है कि अंकेक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जा रहा है । नियुक्ति के फलस्वरूप लगभग एक सौ अंकेक्षक प्रस्तावित निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा । इसके अतिरिक्त वित्त (अंकेक्षण) विभाग के सेवानिवृत्त अंकेक्षकों की सेवा ली जायेगी । साथ ही, महालेखाकार कार्यालय के सेवानिवृत्त अंकेक्षकों की सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था आई0पी0ए0आई0 के माध्यम से ली जानी है । मानदेय का निर्धारण निगोसिएशन के माध्यम से किया जायेगा ।

8. अंकेक्षण कार्य के लिए अंकेक्षण दल का पदस्थापन प्रमण्डल स्तर पर रहेगा । कार्य का आवंटन निदेशालय स्तर से किया जायेगा ।

9. स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय का मुख्यालय वित्त (अंकेक्षण) विभाग के अन्तर्गत पटना में होगा तथा निदेशालय एवं उसके कर्मियों पर होनेवाले व्यय का वहन वित्त (अंकेक्षण) विभाग के स्थापना के तहत किया जाएगा । निदेशालय का कार्यकलाप इस संकल्प के बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भ होगा ।

10. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 19.05.2015 को मद संख्या–11 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या– अं0 स्था0 (9)–13/2013–103/टि0।

आदेशः–अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
एच0 आर0 श्रीनिवास,
सचिव (संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 670-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in